



<< पीछे

खाता विवरण

ग्राम का नाम :

नूरनगर

परगना :

लोनी

तहसील :

गाजियाबाद

खाता संख्या :

00642

जनपद :

गाजियाबाद

फसली वर्ष :

1415-1420

भाग :

1

खातेदार का नाम

संरक्षक का नाम

निवास स्थान

खसरा सँख्या क्षेत्रफल(हे.)

आदेश

टिप्पणी

श्रेणी : भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

मामराज सिंह

लालसिंह

मोरटी

990नि.

0.8650

आदेशानुसार श्रीमान रा0 नि0 पक 11 क/7-2-08

खाता सं0 275 पर मृतक मामराज सिंह के स्थान पर

जयपाल सिंह, नरेश कुमार, भीम सिंह पुत्रगण

स्व: मामराज सिंह नि0 मोरटी का नाम बतौर वारिस

हो। ह0आर0के0/3-3-08

आदेशानुसार श्रीमान तह.महो. मि.नं. 36/3-11-08

को आदेश हुआ कि खाता सं.-642 के खसरा सं.990मि

/0.8650 मा0गु0 23.60 से विक्रेता जयपाल सिंह,

नरेश, भीम सिंह पुत्रगण मामराज नि0 मोरटी का नाम

खारिज करके क्रेता मै0 बी0 आर0 बी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर

प्रा0लि0रजि0 आफिस सी -52 विवेक बिहार दिल्ली

द्वारा

इयरेक्टर योगेश गोयल पुत्र बिजेश गोयल नि0 सी0-52

विवेक बिहार दिल्ली का नाम बतौर बैनामा दर्ज होवे।

ह.आर.के./04-12-08

कार्यालय तहसीलदार गाजियाबाद पत्रांक107/वा.बा.न.

वसूली अमलदरामद/2010 दि.15.07.10 अनुसार

उपजिलाधिकारी गा.बाद केआदेश दि. 26.12.09 के

अन्तर्गत बाकीदार मै. बी.आर.पी. इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा.लि.

रजि. आफिस सी.52 विवेक विहार, दिल्ली डायरेक्टर

योगेश गोयल पुत्र ब्रजेश कुमार नि.सी-52 विवेक विहार

दिल्ली की अचल सम्पत्ति ग्राम नूरनगर के खसरा नं.

990मि/0.8651है. यानि 10346.596वर्ग गज

अर्थात 8651वर्ग मी.को स्टाम्प देय की बकाया

अंकन 805500/- मे कुर्क कर लिया गया है। ह.अ.

र.का.20.7.10

1418-फ. उपजिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद के
आदेश

दिनांक 7.6.11 के अनुसार बाकीदार मै.बी.आर.बी.

इन्फ्रा0 प्रा.लि. रजि. आफिस सी-52 विवेक विहार दिल्ली

द्वारा डायरेक्टर योगेश गोयल पुत्र ब्रिजेश गोयल नि.

विवेक विहार दिल्ली सम्पत्ति ग्राम नूरनगर गा.बाद

के विरुद्ध अंकन 805500/- रु स्टाम्प देय का मांगपत्र

प्राप्त हुआ था जिसमे बाकीदार द्वारा धनराशि जमा न

करने की स्थिति में अधोस्ताक्षरी के आदेश दिनांक

26.12.09 के द्वारा अचल सम्पत्ति ग्राम नूरनगर

गाजियाबाद

के खसरा न. 990मि. रकबा 0.8651 है. यानि

10346.396 वर्ग गज अर्थात 8651 वर्ग मीटर को कुर्क

की गयी थी जो आज भी कुर्की खतौनी मे दर्ज है।

उक्त मांगपत्र में अब कोई बकाया शेष नहीं है। अतः बाकीदार की खतौनी में दर्ज कुर्की आदेश को तत्काल प्रभाव से अवमुक्त किया जाता है। ह.अ.र.का. 13.6.11।

1418-फ. आदेश श्रीमान तहसीलदार गजियाबाद मि.न. 1018/28.7.11 को आदेश हुआ कि खाता न. 642 के खसरा न. 990मि. रकबा 0.8650 है. मा.गु. 23.60 रु से विक्रेता मैसर्स वी.आर.बी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. सी-52 विवेक विहार दिल्ली द्वारा डायरेक्टर योगेश गोयल पुत्र बिजेश कुमार नि. 52 विवेक विहार दिल्ली का नाम खारिज करके क्रेता मैसर्स सीनर्जी प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. 2 सैनी इन्कलेव यू.जी.एफ. 102 कड़कड़ इमा दिल्ली द्वारा डायरेक्टर राजीव कुमार जैन पुत्र एन.के. जैन नि. डी-224 विवेक विहार फेस-1 दिल्ली का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.अ.र.का. 11.8.11।

Disclaimer : उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Data Updated as on : 03/02/2014

Developed By National Informatics Centre UP State Unit Lucknow
Site Best Viewed in IE 8.0 and Google Chrome



<< पीछे

खाता विवरण

ग्राम का नाम : नूरनगर

परगना :

लोनी

तहसील :

गाजियाबाद

खाता संख्या :

00884

जनपद : गाजियाबाद

फसली वर्ष :

1415-1420

भाग :

1

खातेदार का नाम

संरक्षक का नाम

निवास स्थान

खसरा सँख्या क्षेत्रफल(हे.)

आदेश

टिप्पणी

श्रेणी : भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में है।

विजयराम

खचेड़

नि. ग्राम

999

0.5850

1419 फ-आदेशानुसार श्रीमान तह.महोदय मि.न.

रामकिशोर

खचेड़

नि. ग्राम

1012/25.05.12 आदेश हुआ कि खाता न. 884

नन्दपाल

खचेड़

नि. ग्राम

ख.न.999/0.585 मा.गु. 16.45 से विक्रेता विजय

राम व रामकिशोर व नन्दपाल पुत्रगण खचेड़ नि.

ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता यूनितव डवलपर्स

प्रा.लि. रजि.आफिस 1-D-1/17ललिता पार्क,

लक्ष्मीनगर दिल्ली-92 द्वारा डायरेक्टर राजेश गुप्ता

पुत्र सुमेरचन्द गुप्ता का नाम द्वारा बैनामा

5,90,00,000/-

दर्ज हो.ह.अ.र.का. 05.06.12

1420-फ. न्यायालय उपजिलाधिकारी / सहायकले0

(प्रथम श्रेणी) गा.बाद वाद स. 11/6/11-12 धारा 143

30प्र0 ज0वि0 अधि0 ग्राम नूरनगर परगना लोनी

यूनितव डवलपर्स प्रा.लि. बनाम 30प्र0 सरकार

----- आदेश ----- ग्राम नूरनगर लोनी की खतौनी वर्ष

1415 ता. 1420 फ. के खाता न. 884 खसरा न.

खाता विवरण

खाता संख्या : 00459

ग्राम का नाम : नूरनगर

परगना :

लौनी

तहसील : गजियाबाद

खाता संख्या :

जनपद : गजियाबाद

फसली वर्ष :

1415-1420

भाग :

1

आदेश

टिप्पणी

खातेदार का नाम

संरक्षक का नाम

निवास स्थान

खसरा सँख्या क्षेत्रफल(हे.)

श्रेणी : भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

बालकिशन	रामचन्द्र	नि. ग्राम	344	0.2020	आदेशानुसार श्रीमान तह0महो0मि0सं0 790/03-03-08
कृपाल	रामचन्द्र	नि. ग्राम	362	0.1380	को आदेश हुआ कि खाता सं0 337 के खसरा नं0 362/
रुमाली	रामचन्द्र	नि. ग्राम	1000	0.7020	0.1310 है0 मा0 ग0 4.50 पेसे से विक्रेता बालकिशन व

कृष्णपाल पुत्रगण रामचन्द्र व श्रीमती रुमाली पत्नी
रामचन्द्र निवासी नूरनगर का नाम खरिज करके क्रेता
मैसर्स एस0वी0मेगा स्ट्रक्चर्स लि0 पंजीकृत कार्यालय
सूर्य किरन बिल्डिंग 5 क्यू0 शारदा नगर कानपुर एटा
डायरेक्टर रवि मित्तल पुत्र राजेन्द्र कुमार मित्तल
निवासी उक्त कम्पनी का नाम बतौर बैनामा दर्ज होवे।

ह0आर0के0 22-05-08

न्यायालय उपजिलाधिकारी /सहायक-कलेक्टर (प्रथम
श्रेणी)

गजियाबाद वाद सं.31/2008-09अ.धारा 143 ज.वि.अ.

ग्राम नूरनगर पर.लौनी तह.व जिला गा.बाद मै0 एस.बी.

मेगा स्ट्रक्चर्स लि.बनाम उ0प्र0सरकार आदेश

दि.23.03.09

आदेश-ग्राम नूरनगर पर.लौनी के खाता खतौनी वर्ष

1415-1420फ. के खाता नं. 459 ख.नं. 362मि.

रकवा 0.1310 व खाता नं. 728 ख. नं. 359 मि. रकवा 0.1000, ख. नं. 372 मि रकवा 0.2100 व खाता नं. 116 खसरा नं. 360 रकवा 0.0510, 361 रकवा 0.0250 मा. गु. 23.00 ग्राम नूरनगर पर. लौनी को तहसीलदार गाजियाबाद जिसकी चौहद्दी का साक्ष्य न होने के कारण चौहद्दी अंकित नहीं की गई है। आख्या एवं शासनादेशों के क्रम में स्टाम्प अपबन्धना रोकने के उद्देश्य से इस प्रतिबन्ध के साथ किविकास प्राधिकरण अथवा स्थानीय निकाय के विकास एवं निर्माण व भूउपयोग परिवर्तन तथा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (अधिनियम सं. 1 सन 1984) की

धारा 4 की उपधारा (1) सम्बन्धी प्राविधान पूर्व की भाँति यथावत लागू रहेंगे, अकृषिक घोषित किया जाता है। ह. अ राकेश चन्द्र शर्मा, उपजिलाधिकारी, गाजियाबाद 23.3.09

ह. अ. र. का. 02.04.09

1417-फ. आदेश श्रीमान तहसीलदार महेदय दुरस्ती फार्म प क 23 दिनांक 3.2.10 के अनुसार स्थित ग्राम नूरनगर की खतौनी साल 1415 त. 1420फ. के खाता न. 459 पर अंकित खातेदार कृपाल पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर कृष्णपाल पुत्र रामचन्द्र दर्ज किया जावे । ह0र0का0 3.2.10 ।

1419-फ. आदेश श्रीमान तहसीलदार गाजियाबाद मि. न.

929/ 5.7.11 को आदेश हुआ कि खाना न. 459 के
खसरा न. 1000 रकबा 0.7020 है. मा.गु. 30.00 रु
से विक्रेता बालकिशन व कृष्णपाल पुत्रगण स्व.
रामचन्द्र निवासी गण ग्राम नूरनगर परगना लोनी
गा.बाद स्वयं व बहैसियत मु.आम ओर से श्रीमति
रुमाली पत्नी स्व. रामचन्द्र नि. ग्राम नूरनगर
गा.बाद का नाम खारिज करके क्रेता सिनर्जी प्रोजेक्ट्स
प्रा.लि. राजि. आफिस 2 सैनी इन्कलेव यू.जी.एफ. 102
नई दिल्ली 92 द्वारा डायरेक्टर राजीव कुमार जैन
पुत्र एन.के. जैन नि. डी. 224 विवेक विहार फेस-1
दिल्ली 95 का नाम बतौर बैनामा अकन 6365000/-
रु दर्ज हो। ह.अ.र.का. 5.8.11।

Disclaimer : उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Data Updated as on : 03/02/2014

Developed By National Informatics Centre UP State Unit Lucknow
Site Best Viewed in IE 8.0 and Google Chrome